सं. डब्लू-11013/06/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

एनबीए अनुभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 23 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव

विषय : देश के सभी ब्लॉकों में मॉडल सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार के परिसर अत्यन्त उपयोगी होते हैं, जब गाँव में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान की कमी हो अथवा जब कुछ परिवारों द्वारा पारिवारिक शौचालय का तत्काल आधार पर निर्माण नहीं कराया जा सकता।

2. भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तीव्रता लाने का अब निर्णय लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में युद्ध स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। चूंकि प्रत्येक परिवार को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा, अत: गांवों में स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर एक अच्छा अंतरिम तरीका है। तथापि, ग्रामीण आबादी में इस प्रकार के सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकार्यता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर की संकल्पना को आगे बढ़ाने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्थापित करने का प्रयास किया जाए। यह मॉडल सीएससी शौचालयों के प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मुख्य आईईसी तंत्र के रूप में काम कर सकता है।

3. कुछ राज्यों जैसे कि तमिलनाडु ने सीएससी संकल्पना का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया है और एकीकृत महिला स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया है, जिनका कि महिलाओं की निजता, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देने में व्यापक प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु मॉडल का विवरण मंत्रालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

4. निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के मौजूदा दिशानिर्देश एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 2.00 लाख रु. प्रति इकाई लागत को विनिर्दिष्ट करते हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और समुदाय के बीच विभाजन ढांचा 60:30:10 के अनुपात में है। तथापि, सामुदायिक अंशदान, पंचायत द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, तेरहवीं वित्तीय आयोग के अनुदानों अथवा राज्य की अनुमति से यथाविधि राज्य की किसी अन्य निधि से किया जा सकता है।

भवदीय

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छता)
दूरभाश : 24362705

प्रति :

1. राज्य समन्वयनकर्त्ता, एनबीए, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
2. मंत्रालय के वैबसाइट पर डालने के लिए तकनीकी निदेशक, एनआईसी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय।

प्रति :

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।